तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.100/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
25.7.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी चन्दूलाल रावल पुत्र बाबूलाल रावल, जाति– रावल, निवासी– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म हर्षिता भवानी होटल, उदयपुर रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रमेशचन्द्र सैनी (हाल सेवानिवृत) द्वारा दिनांक 14.6.2022 को फर्म हर्षिता भवानी होटल, उदयपुर रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी चन्दूलाल रावल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ नमकीन (श्री रामब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1802 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./1228/Act/2022/1253 दिनांक 27.6.2022 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया, जिस पर ने आज नियत सुनवाई तिथि 25.7.2023 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। जिसने यह अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है और भविष्य में ऐसी पुनरावर्ति पुनः नही करेगा। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री रमेशचन्द्र सैनी, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल सेवानिवृत) द्वारा दिनांक 14.6.2022 को फर्म हर्षिता भवानी होटल, उदयपुर रोड, पिण्डवाडा में प्रतिवादी चंदूलाल रावल से होटल के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ नमकीन (श्री राम ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेटों को को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ नमकीन (श्री राम ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1802 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर [illegible] भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच [illegible] क्रमांक:L.S./1228/Act/2022/1253 दिनांक 27.6.2022 के [illegible] अमानक (Sub-standard) पाया [illegible] प्रकरण में [illegible] तथ्य भी स्पष्ट है कि ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:13:13 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.100/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

प्रतिवादी चंदूलाल ने उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन (श्री राम ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी चंदूलाल रावल ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ नमकीन (श्री राम ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ नमकीन (श्री राम ब्राण्ड) को विक्रय हेतु प्रतिवादी चंदूलाल रावल पुत्र श्री बाबूलाल रावल, जाति– रावल, निवासी– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म हर्षिता भवानी होटल, उदयपुर रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 4,000/– (अक्षरे रुपये चार हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी चंदूलाल रावल को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 23.8.2023 को पेश हो।

(के.आर.खौड़)
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:13:13 IST
Reason: SelfAttested